संख्या-1995/चौवालिस-2-14/च.स./87

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/नोएडा
एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 8 अक्टूबर, 1991

विषय:- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, सेवा समाप्ति अथवा मृत्यु आदि के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए आरक्षित पदों को भरे जाने के लिए शासनादेश संख्या-1184/44-2-14/च.स./87, दिनांक 30-11-87 तथा शासनादेश संख्या-1450/44-2-80/1991 दिनांक 19-8-91 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से सामान्य छूट।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

शासनादेश संख्या-2116/44-2-14/च.स./87-90, दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में ओवर स्टाफिंग होने के कारण नये पदों के सृजन एवं रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासनादेश संख्या-1184/44-2-14/च.स./87, दिनांक 30.11.87 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। निगमों/उपक्रमों में ओवर स्टाफिंग कम करने के लिये यह भी निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 1 अक्टूबर, 1987 से केवल शीर्ष पदों को छोड़कर शेष सभी रिक्त पद फ्रीज माने जायेगें।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों को निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :-

(क) ऐसे निगम जो लाभ में चल रहे हैं जिनका उल्लेख सूची "क" में है।

(ख) ऐसे निगम जो हानि में चल रहे हैं, परन्तु उनके जन उपादेयता का सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्गठन अथवा संविलियन इत्यादि करते हुए चालू रखना आवश्यक हो, जिनका उल्लेख सूची "ख" में है।

(ग) ऐसे निगम जो हानि में चल रहे हैं और बीमार निगमों की श्रेणी में आते हैं तथा जिनका निजीकरण या बन्द करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है, जिनका उल्लेख सूची "ग" में है।

3- इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या 1184/44-2-14/च.स./87, दिनांक 30.11.87 तथा शासनादेश संख्या-1450/44-2-80/1991, दिनांक 19.8.91 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से केवल आन्तरिक प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद जो मृत्यु, सेवा समाप्ति, त्याग-पत्र तथा सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुये हों, को भरे जाने के संबंध में श्रेणी (क) तथा (ख) में उल्लिखित निगमों जिनकी सूची "क" व "ख" में संलग्न है, को एक निश्चित अवधि के लिए सामान्य छूट प्रदान करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध मण्डल को यह अधिकार होगा कि निम्न शर्तों

के अधीन उक्त प्रकार से रिक्त पदों को भरने के संबंध में निर्णय लेगें :-

(क) पदों को आन्तरिक प्रोन्नति से भरा जायेगा।

(ख) निगम के वर्तमान कार्यभार को ध्यान में रखते हुये प्रबन्ध मंडल द्वारा यह देखा जायेगा कि क्या इन पदों को भविष्य में बने रहने का औचित्य है अथवा नहीं है।

उपरोक्त श्रेणी "ग" में उल्लिखित निगमों/उपक्रमों में उक्त प्रकार से रिक्त हुये पदों को आन्तरिक प्रोन्नति से भरे जाने की छूट उपलब्ध नहीं होगी।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2116/44-2-14/च.स./87 17.12.90 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचना के साथ प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परीक्षणोपरान्त मुख्य सचिव के अनुमोदन से एक निश्चित अवधि के लिये शासनादेश 30.11.87 में निर्धारित प्रक्रिया से उपक्रम/निगम को सामान्य छूट प्रदान की जा सके।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने हेतु शासनादेश दिनांक 30.11.87 तथा दिनांक 19.8.91 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी भले ही पद मृत्यु, सेवा समाप्ति, त्याग-पत्र तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुये हों। प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्तियों को भी शासन के पूर्व अनुमति से भरा जायेगा।

भवदीय,
रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या-1995(1)/44-2-14/च.स./87-91, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से संबंधित शासन के समस्त प्रशासकीय विभाग।

(2) महानिदशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
श्रीकृष्ण,
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-1995/चौवालिस-2-14/च.स./87/90, दिनांक 8.10.91 का संलग्नक

अनुसूची "क" निगम जो लाभ चल रहे हैं।

(1) उ0 प्र0 लघु जल विद्युत निगम
(2) उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम
(3) पिकप
(4) उ0 प्र0 वित्तीय निगम
(5) पंचायती राज वित्त विकास निगम
(6) वन निगम
(7) खनिज विकास निगम
(8) राज्य पर्यटन निगम
(9) राजकीय निर्माण निगम
(10) हरिजन एवं निर्बल वर्ग विकास निगम
(11) राज्य औद्योगिक विकास निगम
(12) पुलिस आवास निगम

शासनादेश संख्या-1995/चौवालिस-2-14/च.स./87-90, दिनांक 8.10.91 का संलग्नक

अनुसूची "ख"

निगम जो हानि में चल रहे हैं, परन्तु उनके जन उपादेयता की सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्गठन अथवा संविलियन इत्यादि करते हुए चालू रखना आवश्यक हो :-

(1) नलकूप निगम
(2) (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम
(3) (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम
(4) राज्य विद्युत परिषद्
(5) आवास एवं विकास परिषद्
(6) वस्त्र निगम
(7) इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी
(8) राज्य चीनी निगम
(9) जल निगम
(10) सड़क परिवहन निगम
(11) लघु उद्योग निगम
(12) सेतु निगम
(13) यू0 पी0 डेस्को
(14) उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम
(15) यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन
(16) निर्यात निगम
(17) मत्स्य विकास निगम
(18) पशुधन उद्योग निगम
(19) पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक विकास निगम
(20) गढ़वाल मण्डल विकास निगम
(21) कुमाऊँ मण्डल विकास निगम
(22) अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
(23) तराई अनुसूचित जाति विकास निगम

शासनादेश संख्या-1995/चौवालिस-2-14/च.स./87/90, दिनांक 8.10.91 का संलग्नक

अनुसूची "ग"

हानि में चल रहे बीमार निगमों की श्रेणी जिनके निजीकरण या बन्द करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है :-

(1) उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम
(2) उ0 प्र0 कृषि एवं औद्योगिक विकास निगम
(3) उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम
(4) आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड
(5) उपाय लिमिटेड
(6) यू0 पी0 हार्टिको
(7) उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम
(8) उ0 प्र0 राज्य ब्रासवेयर कार्पोरेशन
(9) उ0 प्र0 चर्म विकास एवं विपणन निगम
(10) उ0 प्र0 चलचित्र निगम
(11) आगरा मण्डल विकास निगम
(12) गोरखपुर मण्डल विकास निगम
(13) इलाहाबाद मण्डल विकास निगम
(14) वाराणसी मण्डल विकास निगम
(15) उ0 प्र0 मध्य क्षेत्रीय विकास निगम
(16) पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम
(17) मेरठ मण्डल विकास निगम
(18) मुरादाबाद मण्डल विकास निगम
(19) पूर्वान्चल विकास निगम
(20) बुन्देलखण्ड विकास निगम
(21) उ0 प्र0 मध्य गन्ना बीज निगम
(22) उ0 प्र0 पश्चिमी गन्ना बीज निगम
(23) उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम
(24) उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम